28–03–2023

वाद पुकारा गया। अभियुक्तगण जगदीश भट्ट एवं कैलाश नाथ जिला कारागार अल्मोड़ा में निरूद्ध हैं। अधिकांश पुलिस बल जी–20 सम्मलेन में सुरक्षा एवं कानून/शान्ति व्यवस्था ड्यूटी पर रवाना होने से पुलिस बल की कमी के दृष्टिगत अभियुक्तगणों को आज जिला कारागार से वीडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कराया गया। अभियुक्त जगदीश भट्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज बृजवाल एवं अभियुक्त कैलाश नाथ की ओर से विद्वान न्यायमित्र श्री गजेन्द्र सिंह मेहता उपस्थित हैं। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पोक्सो, श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी उपस्थित हैं। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

69ख प्रार्थना–पत्र अभियोजन की ओर साक्षी उप निरीक्षक देवेन्द्र सामान्त वर्तमान पूर्णागिरी मेला मेला ड्यूटी पर होने से आज न्यायालय उपस्थित नही हो पाने के कारण मामले में साक्ष्य हेतु एक अन्य तिथि चाहने बावत पेश।

सुना। प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 11–04–2023 को प्रतिपरीक्षा अभियोजन साक्षी संख्या–1 एवं शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश की जाये। अभियोजन साक्षियों को नियत तिथि के लिए समन जारी हो।

(कौशल किशोर शुक्ला)
विशेष सत्र न्यायाधीश,अल्मोड़ा।